

प्रेषक,

मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०

19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./01/2014-15/

5054-25

दिनांक: 04/2/15

विषय: प्रदेश में बच्चों को एनीमिया से बचाव हेतु नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव के अन्तर्गत आयरन की नीली गोली (बड़ी एवं छोटी), आयरन सीरप एवं एलबेण्डाजॉल की गोली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश में बच्चों के एनीमिया से बचाव हेतु नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम संचालित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.सी.डी.एस. एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से निम्नवत आयरन फोलिक एसिड की गोली/सीरप एवं एलबेण्डाजॉल की गोली खिलाई जा रही है:-

**3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों हेतु-**

आंगनवाड़ी केन्द्रों के 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को 1 एमएल आयरन सीरप (20 मिग्रा० एलीमेन्टल आयरन तथा 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड) सप्ताह में दो बार दी जा रही है।

**6 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों हेतु-**

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को आई.एफ.ए. की नीली छोटी गोली (45 मिग्रा० एलीमेन्टल आयरन तथा 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड) सप्ताह में एक निर्धारित दिन (सोमवार) दी जा रही है।

**10 वर्ष से 19 वर्ष के किशोरों हेतु-**

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों (कक्षा 6 से कक्षा 12) के किशोरों को आई.एफ.ए. की नीली बड़ी गोली (100 मिग्रा० एलीमेन्टल आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड) सप्ताह में एक निर्धारित दिन (सोमवार) दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के 33 चिन्हित जनपदों (22 सबला तथा 16 मेन्स्ट्रुअल हाईजीन, जिनमें 5 जनपद कॉमन हैं) में स्कूल न जाने वाली किशोरियों को क्रमशः आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा आशा के माध्यम से आई.एफ.ए. की नीली बड़ी गोली (100 मिग्रा० एलीमेन्टल आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड) सप्ताह में एक निर्धारित दिन (सोमवार) दी जा रही है। वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार स्कूल न जाने वाली किशोरियों के इस कार्यक्रम को विस्तार दिया जा रहा है तथा अब प्रदेश के चिन्हित 47 जनपदों में यह कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के माध्यम से संचालित किया जायेगा जिसके लिए धनराशि पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./02/2014-15/4120-2 दिनांक 16.12.2014 एवं एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./02/2014-15/4125-2 दिनांक 16.12.2014 द्वारा अवमुक्त कर दी गई है। इस प्रकार स्कूल न जाने वाली किशोरियों का आच्छादन अब सभी 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में भी हो जायेगा।

इसी प्रकार वर्ष 2014-15 प्रदेश के चिन्हित 5 जनपदों- आगरा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, अमेठी एवं रायबरेली में स्कूल न जाने वाले किशोरों के लिए भी यह कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि संबंधित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खातों में अवमुक्त कर दी गई है। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव गाइडलाइन के अनुसार यहाँ भी यह कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से संचालित होगा।

जैसा कि विदित है, पूर्व में संचालित आर्शीवाद बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना के अन्तर्गत आई.एफ. ए. सीरप तथा गोलियों (बड़ी एवं छोटी) आर.बी.एस.के. टीम द्वारा स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भ्रमण के दौरान (छः माह के अन्तराल पर वर्ष में दो बार) उपलब्ध करायी जाती थी, जिन्हें आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं स्कूलों में अध्यापको द्वारा खिलाया जाता था। बच्चों को छमाही पेट के कीड़ों की गोली टीमों द्वारा भ्रमण के दौरान अपने सामने खिलाई जाती थी।

वर्ष 2013-14 से प्रदेश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार स्कूलों में टीमों द्वारा वर्ष में एक बार तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर वर्ष में दो बार भ्रमण किया जाना है।

उपरोक्त के दृष्टिगत स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आई.एफ.ए. की गोलियों/सीरप तथा एलबेण्डाजाल (400 मि.ग्र.) की गोली उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत निर्देश दिये जा रहे हैं:-

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वार्षिक आवश्यकतानुसार आई.एफ.ए. सीरप तथा गोलियों (बड़ी एवं छोटी) एवं एलबेण्डाजाल (400 मि.ग्र.) की गोलियों नियमानुसार क्रय कर ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेंगी। ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी इन्हें आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु सी0डी0पी0ओ0 तथा स्कूलों हेतु ब्लाक शिक्षा अधिकारी को छः माह की आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे।
- सी0डी0पी0ओ0 एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी मासिक बैठक के दौरान गोलियों एवं सीरप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं शिक्षकों को उपलब्ध करायेंगे जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं शिक्षको द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार (आयरन सीरप सप्ताह में दो बार, आयरन गोलियों (बड़ी एवं छोटी) सप्ताह में एक बार) निर्धारित दिवस पर बच्चों को अपने सामने पिलाया/खिलायी जायेंगी।
- छः माह के पश्चात गोलियों/सीरप पुनः उपलब्ध कराये जायेंगे। यदि बीच में ही इन गोलियों/सीरप की आवश्यकता पड़ती है, तो इन्हें विभागीय मासिक बैठक में पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
- एलबेण्डाजाल की गोली छ माह के अन्तराल पर वर्ष में दो बार माह फरवरी एवं अगस्त में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/शिक्षक द्वारा अपने सामने भोजन के एक घण्टे उपरान्त खिलाई जायेंगी। **भविष्य में आर.बी. एस.के. टीमों द्वारा एलबेण्डाजाल की गोली नहीं खिलायी जायेगी।**
- अध्यापकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को यह निर्देश दिया जाये कि वे माह फरवरी एवं अगस्त में सभी बच्चों को पेट के कीड़ों की एक गोली खिलायें। प्रथम बार में उन बच्चों को ही एलबेण्डाजाल की गोली खिलायी जायेगी, जिन्होंने पिछले चार माह से गोली नहीं खाई है तथा बाद में उन्हें हर छ माह पर पेट के कीड़ों की गोली खिलायी जायेगी। इस प्रकार भविष्य में समस्त बच्चे फरवरी एवं अगस्त माह में पेट के कीड़ों की गोली खायेंगे, जिसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- आर.बी.एस.के. टीमों को भी उक्त जानकारी एवं आवश्यक निर्देश दे दिये जायें। आर.बी.एस.के. टीमों को भी बच्चों की स्क्रीनिंग के लिये आंगनवाड़ी केन्द्रों/स्कूलों में भ्रमण के समय आयरन सीरप/गोलियों को आवश्यकतानुसार अपने साथ ले जाने हेतु उपलब्ध करायें, जिससे कि वे भ्रमण के समय भण्डारण कम होने पर उन्हें तत्काल उपलब्ध करा सकें।
- टीमों द्वारा शिक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को बच्चों को सही ढंग से गोली खिलाये जाने, रिपोर्टिंग एवं रखरखाव, मासिक पोषण सत्रों का आयोजन, तथा एनीमिया के सम्बन्ध में सही जानकारी देने के लिये भी टीमों को निर्देशित करें।

- क्षेत्रीय आशा द्वारा बच्चों को गोली खिलाये जाने हेतु मोबिलाइज किया जायेगा।
- क्षेत्रीय ए.एन.एम. द्वारा तीन माह में एक बार किशोरियों में एनीमिया से बचाव तथा आई.एफ.ए. लेने के लाभ के बारे में बताया जायेगा तथा इस कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा आशा सहयोग प्रदान करेंगी।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका एवं आशा तथा अध्यापक, रसोइयों एवं चपरासी द्वारा बच्चों के सम्मुख स्वयं भी साप्ताहिक आयरन की गोली खायी जायेगी। इनके द्वारा छ माह के अन्तराल पर माह फरवरी एवं अगस्त में पेट के कीड़ों की गोली (एलबेण्डाजाल 400 मि.ग्र.) भी बच्चों के सम्मुख खाई जायेगी।

आप से अनुरोध है कि उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए समस्त संलग्न निर्धारित प्रपत्रों पर नियमित रूप से ब्लाक शिक्षा अधिकारी एवं सी.डी.पी.ओ. के माध्यम से ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तक एवं ब्लाक स्तर से जनपद पर रिपोर्ट संकलित कराते हुए राज्य स्तर पर ससमय भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय

(अमित कुमार घोष) 04/2/15  
मिशन निदेशक

पत्र संख्या: एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./01/2014-15/ तददिनांक  
प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०।
3. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि०स्वा० एवं परि०क० उ०प्र०।
6. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, आर.बी.एस.के./आर.के.एस.के उ०प्र०।
7. मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम उ०प्र०।

(अमित कुमार घोष)  
मिशन निदेशक

# साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरक कार्यक्रम (WIFS)

स्कूल/ऑगनबाड़ी केन्द्र रजिस्टर का प्रारूप (अनुलग्नक-1)

De-worming तथा IFA :वितरण स्थिति

रजिस्टर के दो पृष्ठ मिलाकर निम्नवत् अलग-अलग मासिक प्रपत्र बनायें

स्कूल./ऑगनवाड़ी केन्द्र .....

कक्षा / .....

माह.....

कक्षा/ऑगनवाड़ी केन्द्र में कुल लाभार्थी की संख्या.....

क म	लाभार्थी का नाम	आयु	बालक	बाहिका	आयरन गोली/सीरप देने का विवरण (प्रत्येक सप्ताह में दी गई गोलियों/सीरप की संख्या/खुराक लिखें)						न दिये जाने का कारण (प्रतिमाह 4 से कम/संदर्भन)	डी-वर्मिंग की गोली (तिथि)
					प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तृतीय सप्ताह	चतुर्थ सप्ताह	पंचम सप्ताह	कुल खुराक		

अध्यापकों, रसोइयों एवं चपरासियों/ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका को खिलाई गई आयरन की गोली की संख्या -

अध्यापकों, रसोइयों एवं चपरासियों को खिलाई गई डी-वर्मिंग की गोली की संख्या -

ऑगनबाड़ी केन्द्र पर सप्ताह की पहली खुराक देने पर एक बार  बनायें अथवा दो बार देने पर  बनायें

ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों एवं किशोरियों हेतु रजिस्टर में अलग-अलग माहवार विवरण तैयार करें।

**आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरक कार्यक्रम**  
**ऑगनबाड़ी केन्द्र / कक्षावार स्कूल मासिक रिपोर्ट का प्रारूप (अनुदानक-2)**  
**De-worming तथा IFA : वितरण स्थिति**

जिला.....

स्कूल / आगनबाड़ी केन्द्र का नाम.....

ब्लॉक का नाम .....

कक्षा.....

माह.....

1. लाभार्थी की संख्या	नेशनल आयरन प्लस इनीसिएटिव												
	6 माह - 6 वर्ष (आयरन सीरप)			6-10 वर्ष (आयरन की छोटी गोली)			10-19 वर्ष (आयरन की बड़ी गोली) (WIFS)						
	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	
2. आई.एफ.ए. गोलियों / सीरप के वितरण / उपभोग का विवरण													
2.1) लाभार्थी की संख्या जिन्हें आयरन													
4-5 गोली / सीरप 8-9 खुराक दी गई													
2.2) लाभार्थी की संख्या जिन्हें 4													
गोली / सीरप की 8 खुराक से कम दी गई													
2.3) गोली / खुराक पाने वाले कुल													
लाभार्थी की संख्या (2.1 और 2.2 का जोड़)													
2.4) संदर्भित लाभार्थी की संख्या													
3. अद्यापक, रसाइयों एवं चपरासियों / ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका को खिलाई गयी आई.एफ.ए. बड़ी गोलियों की संख्या													
4. डीवर्मिंग गोलियों का विवरण (डीवर्मिंग की गोली वर्ष में दो बार छः माह पर दी जानी है)													
4.1. लाभार्थी को खिलाई गयी डीवर्मिंग गोलियों की संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	
4.2 अद्यापक, रसाइयों एवं चपरासियों / ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका को खिलाई गयी एलबेडजाल की गोलियों की संख्या													
5. स्टॉक विवरण													
विवरण	माह का आरम्भिक स्टॉक			माह में प्राप्त स्टॉक			माह में खर्च स्टॉक			माह के अन्त में अवशेष मात्रा			
आयरन सीरप													
आयरन की छोटी गोली													
आयरन की बड़ी गोली													
डीवर्मिंग गोली													

हस्ताक्षर  
(अद्यापक / आगनबाड़ी कार्यकर्त्री)

## आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरक कार्यक्रम

स्कूल / सेक्टर(आई0सी0डी0एस0) मासिक रिपोर्ट का प्रारूप (अनुलग्नक-2ए)

De-worming तथा IFA :वितरण स्थिति

ब्लॉक का नाम .....

माह.....

स्कूल / सेक्टर(आई0सी0डी0एस0) का नाम.....

जिला.....

1. लाभार्थी की संख्या	नेशनल आयरन प्लस इनीसिएटिव														
	6 माह - 6 वर्ष (आयरन सीरप)				6-10 वर्ष (आयरन की छोटी गोली)				10-19 वर्ष (आयरन की बड़ी गोली) (MIFS)						
	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या			
2. लाभार्थी आई.एफ.ए. गोलियों/सीरप के वितरण/उपभोग का विवरण															
2.1) लाभार्थी की संख्या जिन्हें आयरन															
4-5 गोली/सीरप 8-9 खुराक दी गई															
2.2) लाभार्थी की संख्या जिन्हें 4															
गोली/सीरप की 8 खुराक से कम दी गई															
2.3) गोली/खुराक पाने वाले कुल															
लाभार्थी की संख्या (2.1 और 2.2 का जोड़)															
2.4) संदर्भित लाभार्थी की संख्या															
3. अभ्यापकों, रसाइनों एवं चपरसियों/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका को खिलाई गयी आई.एफ.ए. बड़ी गोलियों की संख्या															
4. डीवर्मिंग गोलियों का विवरण															
(डीवर्मिंग की गोली वर्ष में दो बार छः															
माह पर दी जानी है)															
4.1. लाभार्थी को खिलाई गयी डीवर्मिंग															
गोलियों की संख्या															
4.2. अभ्यापकों, रसाइनों एवं चपरसियों/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका को खिलाई गयी एलबेण्डाजाल की गोलियों की संख्या															
5. स्टॉक विवरण															
विवरण															
आयरन सीरप															
आयरन की छोटी गोली															
आयरन की बड़ी गोली															
डीवर्मिंग गोली															
माह का आरम्भिक स्टॉक				माह में प्राप्त स्टॉक				माह में खर्च स्टॉक				माह के अन्त में अवशेष मात्रा			

**आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरक कार्यक्रम**  
**ब्लॉक स्तरीय मासिक रिपोर्ट (शिक्षा / आई0सी0डी0एस0 विभाग) का प्रारूप (अनुलानक-2बी)**

De-worming तथा IFA : वितरण स्थिति

जिला.....

ब्लॉक का नाम.....

माह.....

ब्लॉक में कुल स्कूल / आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या ..... कुल स्कूलों / आंगनवाड़ी केन्द्रों से प्राप्त रिपोर्टों की संख्या.....

	नेशनल आयरन प्लस इनीसिएटिव											
	6 माह - 6 वर्ष (आयरन सीरप)			6-10 वर्ष (आयरन की छोटी गोली)			10-19 वर्ष (आयरन की बड़ी गोली) (WIFS)			स्कूल न जाने वाले		
	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या
1. ब्लॉक में लाभार्थी की संख्या												
2. ब्लॉक में लाभार्थी आई.एफ.ए. गोलियों / सीरप के वितरण / उपभोग का विवरण												
2.1) लाभार्थी की संख्या जिन्हें आयरन												
4-5 गोली / सीरप 8-9 खुराक दी गई												
2.2) लाभार्थी की संख्या जिन्हें 4 गोली / सीरप की 8 खुराक से कम दी गई												
2.3) गोली / खुराक पाने वाले कुल लाभार्थी की संख्या (2.1 और 2.2 का जोड़)												
2.4) संदर्भित लाभार्थी की संख्या												
3. ब्लॉक में अध्यापकों, रसाइयों एवं चपरासियों / आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका को खिलाई गयी आई.एफ.ए. बड़ी गोलियों की संख्या												
4. ब्लॉक में डीवर्मिंग गोलियों का विवरण (डीवर्मिंग की गोली वर्ष में दो बार छ: माह पर दी जानी है)	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या
4.1. लाभार्थी को खिलाई गयी डीवर्मिंग गोलियों की संख्या												
4.2. ब्लॉक में अध्यापकों, रसाइयों एवं चपरासियों / आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका को खिलाई गयी एलबैण्डजाल की गोलियों की संख्या												
5. ब्लॉक में स्टॉक विवरण												
विवरण	माह का आरम्भिक स्टॉक			माह में प्राप्त स्टॉक			माह में खर्च स्टॉक			माह के अन्त में अवशेष मात्रा		
आयरन सीरप												
आयरन की छोटी गोली												
आयरन की बड़ी गोली												
डीवर्मिंग गोली												

हस्ताक्षर

(ब्लॉक शिक्षाधिकारी / सी0डी0पी0ओ0)

**आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरक कार्यक्रम**  
**ब्लॉक स्तरीय संयुक्त मासिक रिपोर्ट (शिक्षा एवं आईओसीओएसओ विभाग) का प्रारूप (अनुलग्नक-3)**

De-worming तथा IFA : वितरण स्थिति

ब्लॉक का नाम.....

माह.....

जिला.....  
 ब्लॉक में कुल स्कूलों की संख्या .....  
 ब्लॉक में कुल आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या.....

कुल स्कूलों से प्राप्त रिपोर्टों की संख्या .....  
 कुल आंगनवाड़ी केन्द्रों से प्राप्त रिपोर्टों की संख्या.....

1. ब्लॉक में लाभार्थी की संख्या	नेशनल आयरन प्लस इनीसिएटिव											
	6 माह - 6 वर्ष (आयरन सीरप)				6-10 वर्ष (आयरन की छोटी गोली)				10-19 वर्ष (आयरन की बड़ी नीली गोली) (WIFS)			
	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या	लडके	लडकियाँ	कुल संख्या
2. ब्लॉक में लाभार्थी आई.एफ.ए. गोलियों/सीरप के वितरण/उपभोग का विवरण												
2.1) लाभार्थी की संख्या जिन्हें आयरन												
4-5 गोली/सीरप 8-9 खुराक दी गई												
2.2) लाभार्थी की संख्या जिन्हें 4												
गोली/सीरप की 8 खुराक से कम दी गई												
2.3) गोली/खुराक पाने वाले कुल लाभार्थी की संख्या (2.1 और 2.2 का जोड़)												
2.4) संदर्भित लाभार्थी की संख्या												
3. ब्लॉक में अभ्यापकों, रसोइयों एवं चपरासियों/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका को खिलाई गयी आई.एफ.ए. बड़ी गोलियों की संख्या												
4. ब्लॉक में डीवर्मिंग गोलियों का विवरण (डीवर्मिंग की गोली वर्ष में दो बार छ. माह पर दी जानी है)												
4.1. लाभार्थी को खिलाई गयी डीवर्मिंग गोलियों की संख्या												
4.2. ब्लॉक में अभ्यापकों, रसोइयों एवं चपरासियों/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका को खिलाई गयी एलबेण्डाजाल की गोलियों की संख्या												
5. ब्लॉक में स्टॉक विवरण												
आयरन सीरप												
आयरन की छोटी गोली												
आयरन की बड़ी गोली												
डीवर्मिंग गोली												
	माह का आरम्भिक स्टॉक		माह में प्राप्त स्टॉक		माह में खर्च स्टॉक		माह के अन्त में अवशेष मात्रा					

हस्ताक्षर

(ब्लॉक चिकित्साधिकारी)



